



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in



क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल, अंकलेधर,
प्लॉट नं. H3012, 500 क्वाटर पास,
अंकलेधर, जि. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट नं. H3012,
500 क्वाटर के पास, अंकलेधर, जो. भरुच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

ई फ़ाइल संख्या: 266481 (प्रशासन)

दिनांक:- 25.03.2025

कार्यालय आदेश संख्या: 30 वर्ष 2025

Office Order No.: 30 Year 2025

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों / अधिकारियों के संबंध में उनके सामने दिये गए विवरण के अनुसार संतान देखभाल छुट्टी (CCL) की स्वीकृति दी गई है :-

Child Care Leave (CCL) has been sanctioned by the competent authority in respect of the following employees / officers as per the details given before them :-

क्र. सं.	नाम / पदनाम / कर्मचारी सं.	आवेदन संख्या (LV000)	छुट्टी का प्रकार	छुट्टी की अवधि		दिनों की संख्या	स्पैल	शेष छुट्टी
				से	तक			
1.	श्रीमति अर्पिता पारेख, सहायक नर्सिंग अधिकारी (117871)	3391947	शिशु देखभाल	27.03.2025	05.04.2025	10	प्रथम	367
2.	श्रीमति कल्पनाबेन भाविन कुमार राठोड़, सीएसआर सहायक (117945)	3395540	शिशु देखभाल	01.04.2025	15.04.2025	15	प्रथम	555

यह प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त कर्मचारी / अधिकारी द्वारा स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के बाद उसी पद पर रिपोर्ट किया गया है / किए जाने की संभावना है।

It is certified that the above employee / officer has reported / is likely to report to the same post after completion of sanctioned leave.

यह भी प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त कर्मचारी / अधिकारी उसी पद पर बने रहे होंगे और उपरोक्त संतान देखभाल छुट्टी (CCL) को उनके वर्तमान पद पर वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए गिना जाएगा।

It is also certified that the above employees/officers would have continued to hold the same post and the above Child Care Leave (CCL) will count for grant of pay increment in their present post.

(प्रभात दुआ)

प्रशासन शाखा अधिकारी

1. संबंधित कर्मचारी / अधिकारी।
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल / व्यक्तिगत फ़ाइल / संबन्धित फ़ाइल।
3. नगद शाखा व वित्त एवं लेखा शाखा ईएसआईसी अस्पताल, अंकलेधर।